भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-27

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

सरकारी विद्यालयों को बंद करना

†*27. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री भजन लाल जाटव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत पांच वर्षों के दौरान देश में अनेक सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने विद्यालय बंद किए गए हैं;

(ग) ऐसे सरकारी विद्यालयों के बंद होने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन सरकारी विद्यालयों के बंद होने के परिणामस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विद्यालय-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'सरकारी विद्यालयों को बंद करना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. मोहम्मद जावेद और श्री भजन लाल जाटव द्वारा दिनांक 02/02/2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 27 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों का खोला जाना, बंद किया जाना और युक्तिकरण संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को पड़ोस की परिभाषित क्षेत्र या सीमाओं के भीतर प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस के मानदंडों के अनुसार क्षेत्र या सीमाएं अधिसूचित की हैं। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 यह भी अधिदेशित करता है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वलौकिक पहुंच बढ़ाने में प्रगति की गई है। यह वर्ष 2018-19 और वर्ष 2024-25 के लिए सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से स्पष्ट है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) उस वर्ष में कुल गांवों/बस्तियों में से एक वर्ष में निर्दिष्ट मानदंड के भीतर स्कूल वाले कुल गांवों/बस्तियों की संख्या है।

पिछले कुछ वर्षों में सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) में सुधार हुआ है और शैक्षणिक श्रेणी में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में गिरावट आई है।

यूडाइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकारी स्कूलों की संख्या, जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है और शिक्षा के स्तर के अनुसार स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।
